



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

0612-2231563. फ़ैक्स नं. : 2231562. वेबसाइट : <https://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक : 07/03/2025

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा./04-01-01/2024 756 चूंकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-1 में अंकित 182 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।**

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 4 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **कंडिका-4** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **अनुलग्नक-1** में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक **09.04.2025 (बुधवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने **पत्र संख्या 370 दिनांक 31.01.2025 द्वारा 186 दुग्ध समितियाँ** का मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट-ऑफ तिथि 31.12.2024** निर्धारित की गई है एवं तदनुसार 182 दुग्ध समितियों का मतदाता सूची का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 28.02.2025** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. उक्त के आलोक में **अनुलग्नक- 1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-**

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	10.03.2025 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	26.03.2025 (बुधवार) एवं 27.03.2025 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	28.03.2025 (शुक्रवार) एवं 29.03.2025 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	02.04.2025 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	09.04.2025 (बुधवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	09.04.2025 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	11.04.2025 (शुक्रवार)

5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा- 14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-

- (I). निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (II). सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।
- (III). उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (IV). अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (V). अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (VI). अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (VII). जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक-2 पर संलग्न **प्रपत्र- ई० 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 10.03.2025 (सोमवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र- ई० 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 01 जुलाई 2019 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र- ई० 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को **ई-मेल (bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार

को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही **प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।**

8. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट-01 में निदेश दिये गये हैं।

9. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र-ई-18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-01 के निदेशों के अनुरूप अपलोड कराएँगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

10. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् **दिनांक 11.04.2025** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-139 पर देखे जा सकते हैं।

ह0/-

अनुलग्नक: यथोक्त।

(गिरीश शंकर)

ज्ञापांक : 756 मुख्य चुनाव पदाधिकारी।
पटना/ दिनांक : 07/03/2025
प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक : 756 परामर्शी।
पटना/ दिनांक 07/03/2025
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स. स.)/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) से अनुरोध है कि इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक-8933 दिनांक-15.06.2012 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। विहित प्रपत्रों की प्रति सहकारी समितियों के **निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका** में उपलब्ध है।

ज्ञापांक : 756 परामर्शी।
पटना/ दिनांक 07/03/2025
प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, कम्पेड, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि./प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलीपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि./ प्रबंध निदेशक, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि./ देशरत्न डा. राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 एवं शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वे दुग्ध समिति की उपविधियाँ **दिनांक 08.03.2025** तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह-

निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 756

पटना/ दिनांक 07/03/2025

परामर्शी।

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

ज्ञापांक : 756

पटना/ दिनांक 07/03/2025

परामर्शी।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 756

पटना/ दिनांक 07/03/2025

परामर्शी।

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा- 2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

परामर्शी।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि एवं अभिलेख अपलोड करने से संबंधित निर्देश।

1. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट—<http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्टि किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-

क्र०	सूचना प्रविष्टि का समय	प्रविष्टि की जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र- ई० 1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्टि करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्टि करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्टि करना है।

2. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी।

3. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निम्नांकित अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड किया जाना है-

क्र०	अभिलेख अपलोड का समय	अपलोड किये जाने वाले अभिलेख
i.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र- ई० 18)।
ii.	मतगणना के एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-Pdf, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पृष्ठ के लिए स्कैन फाइल साइज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

प्रपत्र- ई० 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) एवं अंतिम मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अतएव निर्वाचन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने निगरानी में उक्त दोनों अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायें। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा। वेबसाइट पर प्रविष्टि अथवा अभिलेख को अपलोड करने के संदर्भ में किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्राधिकार के पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता है। इसके अलावे निम्नांकित नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है-

1. श्री वेद प्रकाश - 7543014562

[illegible]

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची :-

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	संबद्ध संघ	समिति का नाम
34	सारण	परसा	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	प्रसादी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
35	सारण	बनियापुर	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, फूलवारीशरीफ	महिला पटेढ़िया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
36	सारण	मढ़ौरा	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	लेरुआ पूर्वी टोला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
37	सारण	मढ़ौरा	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	सेमल सराय दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
38	सारण	मांझी	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	बेलदारी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
39	सारण	लहलादपुर	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	पुरुषोत्तमपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
40	वैशाली	महनार	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना	शेखपुरा करनौती दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
41	वैशाली	राजापाकर	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना	महिला भाथादासी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
42	वैशाली	हाजीपुर	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना	महिला चकसकरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
43	सारण	एकमा	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना	रामपुर बिन्दलाल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
44	सारण	बनियापुर	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना	महिला लौवा कला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
45	कैमूर (भभुआ)	चाँद	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	अल्लीपुर, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
46	कैमूर (भभुआ)	नुआँव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	तियरा, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
47	कैमूर (भभुआ)	भगवानपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	नौगढ़ , दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
48	कैमूर (भभुआ)	भभुआ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कबार, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
49	कैमूर (भभुआ)	मोहनियाँ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कुरई , दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
50	कैमूर (भभुआ)	रामगढ़	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	महिला सिसौड़ा, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
51	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	उखरौड़ा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
52	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	निस्ता महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
53	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	पोखरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
54	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	लहतोरबा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
55	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	स्वराज जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
56	खगडिया	खगडिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	इसमाइलपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
57	खगडिया	खगडिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	रसौंक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
58	खगडिया	खगडिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	लक्ष्मीपुर गंगिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
59	खगडिया	गोगरी	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बड़ी मलिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
60	खगडिया	गोगरी	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	शिशवा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
61	खगडिया	परबता	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	दरियापुर भेलवा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
62	खगडिया	परबता	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	पुनौर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
63	खगडिया	परबता	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	पूर्वी झंझरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची :-

[illegible]

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची :-

[illegible]

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची :-

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	संबद्ध संघ	समिति का नाम
122	भोजपुर	तरारी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	रननी . दूध उत्पादक सहयोग समिति
123	भोजपुर	शाहपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	उमरावगंज, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
124	मधुबनी	बिस्फी	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	सलेमपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
125	मधुबनी	रहिका	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	गंधवारी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
126	मधुबनी	रहिका	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	भिट्ठी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
127	रोहतास	तिलौथू	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	रणजीतगंज, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
128	रोहतास	दिनारा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	खनिता, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
129	लखीसराय	रामगढ़ चौक	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	परसांवा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
130	लखीसराय	रामगढ़ चौक	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	भवंरिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
131	लखीसराय	लखीसराय	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	खरगवारा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
132	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कसबा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
133	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	लय दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
134	वैशाली	विदुपुर	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, फुलवारीशरीफ	दाउदनगर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
135	वैशाली	विदुपुर	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, फुलवारीशरीफ	महिला मझौली दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लि
136	शेखपुरा	बरबीघा	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, फुलवारीशरीफ	पुनेसरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ली
137	समस्तीपुर	कल्याणपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बेलसंडी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
138	समस्तीपुर	कल्याणपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	मोहनपुर खुर्द महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
139	समस्तीपुर	ताजपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	आधारपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
140	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	महनेया महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
141	समस्तीपुर	पूसा	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	शेखोपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
142	समस्तीपुर	बिथान	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कटौसी महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
143	समस्तीपुर	बिथान	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बखारी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
144	समस्तीपुर	बिथान	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	भिखनौलिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
145	समस्तीपुर	मोरवा	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	पचभिंडा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
146	समस्तीपुर	विभूतिपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कोरबद्धा टंभका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
147	समस्तीपुर	विभूतिपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	पुरषोतमपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
148	समस्तीपुर	सरायरंजन	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	डगरुआ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
149	समस्तीपुर	सिंघिया	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	नवटोलिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
150	समस्तीपुर	हसनपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	गोहा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
151	समस्तीपुर	हसनपुर	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	देवधा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
152	सारण	अमनौर	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, फुलवारीशरीफ	कटसा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ली

•

[illegible]

.....समिति का निर्वाचन

प्रपत्र-ई० 1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंड के अन्तर्गत(समिति का नाम)
के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांकको किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या	आरक्षित कोटि (यदि लागू हो)
1.	2.	3.

(ii) एकल पद, जैसे- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इत्यादि अनारक्षित रहेगा परंतु अन्य पदों पर निबंधक, सहयोग समितियों के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 एवं पत्रांक 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुरूप आरक्षण लागू किए जाएंगे।

(iii) अध्यक्ष/ सचिव जैसे एकल पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iv) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांकसे दिनांक..... तकबजे से बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांकको(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vii) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांकको अपराह्न बजे के पूर्व तक(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(viii) प्रपत्र-ई० 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमाम्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जायेगा ।

(ix) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक को निर्मांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक होगा :-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम/ पता

(1)

(2)

(3)

(X) मतगणना दिनांककोबजे से(स्थान का नाम)

में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू न हों, उसे काट दें।

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त/ जिला सहकारिता पदाधिकारी (क्षेत्रीय निबंधन पदाधिकारी)/ स्थानीय थाना प्रभारी/ स्थानीय सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/ स्थानीय जिला सहकारी बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ प्रेषित। प्राधिकार के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रतिलिपि:- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) के कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि प्रपत्र ई-1 को विहित स्थलों पर प्रकाशित करायें और फोटो भी खींचकर सचिका में रखें।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर